न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण सं. 04/2024(GCMS 2024/10)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सी–25 भगवन्त दास रोडड, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर–302001 में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शरद गौड (एन.सी.एल.टी.मुम्बई के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुसार एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड का विलय एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड में हो गया)

बनाम

स्वर्गीय रिछपाल
1. **मोहिनी देवी** पत्नी स्वर्गीय रिछपाल
2. **पूनम** पुत्र स्वर्गीय रिछपाल
3. **पुष्पा** पुत्री स्वर्गीय रिछपाल
4. **गोविन्द** पुत्र स्वर्गीय रिछपाल
5. **लक्ष्य** पुत्र स्वर्गीय अमन (पौत्र स्वर्गीय रिछपाल) (अवयस्क)(संरक्षक श्रीमती सुमन)
6. **रक्षिता** पुत्री स्वर्गीय अमन (पौत्र स्वर्गीय रिछपाल) (अवयस्क)(संरक्षक श्रीमती सुमन)

(क) वार्ड नं. 3, हशलिया रोड़, सैकण्डरी स्कूल के पास, गोलूवाला, सिहागान, 22 जे.आर.के. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

(ख) खाता नं. 95, चाल 22 जे.आर.के., तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

<u>20.03.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण स्वर्गीय रिछपाल (कानूनी वारिस मोहिनी देवी, पूनम, पुष्पा, गोविन्द, लक्ष्य, रक्षिता) को 27.00/– (अखरे रूपये सत्ताईस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.12.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी स्वर्गीय रिछपाल द्वारा बंधक रखी अपनी सम्पत्ति** प्लॉट नं0 सी–14, रॉयल सिटी, चक नं. 5–ई छोटी, मुरब्बा नं. 41 किला नं. 13 एवं 14 **तहसील व जिला, श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने पूर्व उक्त अप्रार्थी स्वर्गीय रिछपाल कानूनी वारिस मोहिनी देवी, पूनम, पुष्पा, गोविन्द, लक्ष्य, रक्षिता के विरूद्ध एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय में 97/2023 के रूप में दर्ज हुआ था और जिसमें वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना नहीं होने के कारण दिनांक 21.08.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया था जिसके अंतिम पैरा में निम्नानुसार अंकित किया गया था:

> चूंकि अप्रार्थीगण पर उक्त RULE 3(4) के प्रावधानों के तहत धारा 13(2) के नोटिस की तामील न होने के कारण एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।
>
> यह आदेश आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
>
> -sd-
> (अंशदीप)
> जिला मजिस्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2023 की पालना नही की गई। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.08.2023 में उक्त अधिनियम 2002 के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध नये सिरे करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु इस न्यायालय उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2023 के पश्चात प्रार्थी बैंक ने पुनः प्रकरण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.02.2023 के साथ ही इस न्यायालय पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय के पश्चात यदि वे वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, पूर्व निर्णय की प्रति के सहित पेश करना चाहिए। चूंकि प्रार्थी बैंक के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 21.08.2023 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना यह प्रकरण पेश किया है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण में गुणदोष पर विचार नहीं किया जा रहा है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में पूर्व में पारित आदेश को रिव्यु करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस मामले में रिव्यु के रूप में भी विचार नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr भी अवलोकनीय है जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors., AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त परिपेक्ष्य में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested